

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 नियमावली 2011 के नियम-17 के उपनियम (5) के अन्तर्गत

कार्यालय-मुख्य शिक्षा अधिकारी, नैनीताल

पत्रांक-मान्यता (आर0टी0ई0)/ 7852-53 / अंग्रेजी नवीनीकरण / 2020-21 दि०- 01/3/21
सेवा में,

प्रबन्धक / व्यवस्थापक / प्रधानाचार्य,
ग्रीनबुडस ग्लोबल स्कूल धनपुरी,
हल्द्वानी, नैनीताल।
कोड संख्या-62


विषय- निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली 2011 के नियम-17 के उप नियम
(5) के अन्तर्गत विद्यालय की मान्यता नवीनीकरण का प्रमाण पत्र।

महोदय,

इस कार्यालय के पत्रांक-वैय0अ0/9595-97/आंग्ल भाषा मान्यता/2014-15 दिनांक-31.03.2015 द्वारा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक विद्यालय संचालन हेतु नवीन औपबन्धिक मान्यता दि० 01.04.2015 से दि० 31.03.2018 तक की नवीनीकरण की स्वीकृति दि० 02.06.2016 द्वारा दि० 31.03.2021 तक प्रख्यापित शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रदान की गयी थी। आपके स्वघोषणा प्रपत्र एवं खण्ड/उप शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गयी निरीक्षण आख्या दिनांक-27.11.2020 व संस्तुति के आधार पर आपके विद्यालय ग्रीनबुडस ग्लोबल स्कूल धनपुरी, हल्द्वानी नैनीताल को कक्षा 1 से कक्षा 8 तक संचालन हेतु शैक्षणिक सत्र 01.04.2021 से दिनांक 31.03.2026 तक आगामी 5 वर्ष के लिए मान्यता नवीनीकरण की स्वीकृत प्रदान की जाती है। प्रदत्त अवधि के अन्तर्गत विद्यालय को शिक्षा अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत वांछित मूलभूत सुविधायें तथा एन0सी0टी0ई0 के दिशा-निर्देशों के अनुरूप निर्धारित योग्यता प्राप्त शिक्षण कार्य हेतु अध्यापकों के चयन के साथ बच्चों की सुरक्षा निश्चित किये जाने के लिए मा० उच्च न्यायालय एवं मा० उच्चतम न्यायालय तथा शासन/विभाग द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त अन्य मान्यता की शर्तें इस कार्यालय के पत्रांक-वैय0अ0/9595-97/ आंग्ल भाषा मान्यता/2014-15 दिनांक 31.03.2015 द्वारा दी गयी औपबन्धिक मान्यता नवीन के अधीन एवं परिशिष्ट-4 के शर्तों के रूप में रहेंगी।

भवदीय,


(के०के०गु०सी०)


मुख्य शिक्षा अधिकारी,
नैनीताल।

पृ०सं०- मान्यता (आर0टी0ई0)/ 7852-53 / अंग्रेजी नवीनीकरण / 2020-21 दिनांक-उक्तवत्
प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

01.जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, नैनीताल।

02.संबंधित खण्ड/उप शिक्षा अधिकारी।

03.कार्यालय सुरक्षित पंजिका।


मुख्य शिक्षा अधिकारी,
नैनीताल।